दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(6)

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१४ निगरानी R. 2326-I/14

शारदाबाई पति घांसीराम उम्र ४५ साल धंधा कृषि व गृहकार्य निवासी ग्राम कड़ुला तहसील मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर

...........आवेदक

विरूद्व

०१. भंवरलाल पिता रूग्गाजी निवासी ग्राम कड़ुला तहसील मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर (म०प्र०)

०२. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक महोदय मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर (म.प्र.)

.............अनावेदक

15.7.14

21.7.14

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म०प्र०भू०राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय मोमन बड़ोदिया जिला शाजापुर के क्रमांक ४७/अ-१२/१३.१४ में पारित आदेश दिनांक ६.०६.१४ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

०२. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक व पटवारी मौजा द्वारा धारा १२९ भू.रा.संहिता के प्रावधानों का पालन किये बिना जैर निगरानी आदेश पारित करने में त्रुटि की हे।

०३. यह कि आवेदिका को सीमांकन की कोई सुचना नहीं दी गइ जबकि विधानानुसार आवेदिका को सुचना दी जाना आवश्यक है इस कारण से भी अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश व सीमांकन रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

शारदाबाई / मंगललाल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(13)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 2326/I/14 जिला - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार मोहन वडोदिया के प्रकरण क्रमांक 47/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6.6.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर श्योपुर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	